228

CANCELLED CANCELLED CANCELLED

<u>समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)</u>

द्वितीय अपील कंमांक : /2011 A-764-I/2011,

<u>अपीलार्थी</u> :

भोजेलाल पिता दादूलाल अहीर
उम्र करीब 56 वर्ष निवासी-ग्राम थॉवरी
पट.हल्का नं0 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल
भोमा तहसील व जिला-सिवनी (म.प्र.)

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
01 MAR 2011
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

<u>वि रू द्ध</u>

<u>गैर अपीलार्थी</u>:

खैरसिंह आत्मज कोदू किरार
निवासी-ग्राम भाटा पट.हल्का नं0 27
राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा
तहसील व जिला-सिवनी (म.प्र.)

Received Indore camp.
10-5-11

(109)

<u>अपील अंतर्गत धारा 44 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959</u>

16.5.11

अपीलार्थी, न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 116/अ-70/2009-10 (भोजेलाल वि0-खैर सिंह) में दिनांक 18.01.2011 में पारित आदेश से व्यथित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करता है कि :-

<u>अपील के तथ्य</u>

NOTARY P.C. JETHAR GOVT. OF M.P. INDIA
1 MAR 2011

1. यह कि, अपीलार्थी ने तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भीटा पटवारी हल्का नं0 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा तहसील व जिला-सिवनी में स्थित भूमि खसरा नं0 53/1 रकबा 0.60 हेक्टयर भूमि पर गैर अपीलार्थी खैर सिंह द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है तथा उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के अधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है। जिसका कब्जा वापिस दिलाया जावे। उक्त आवेदन पत्र पर अतिरिक्त तहसीलदार सिंवनी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा गैर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया।

2. यह कि, सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात् दिनांक 26.11.2009 को अतिरिक्त तहसीलदार सिवनी ने यह आदेश पारित किया कि ग्राम भाटा पटवारी हल्का नं0 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा तहसील एवं जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं0 53/1 रकबा 0.60 हेक्टयर भूमि जो अभिलेख में भोजेलाल पिता दादूराम के नाम से दर्ज है तथा अपीलार्थी की भूमि स्वामी के हक की होने के कारण गैर अपीलार्थी खैर सिंह पिता कोदू किरार के द्वारा अवैधानिक रूप से कब्आ होने

क्रमशः-----2

A. 764-I/11 (सिविल)

23.11.16

[illegible] को [illegible] प्रस्तुत
[illegible] [illegible] [illegible] के आदेश
[illegible] [illegible] [illegible] मांगी
[illegible] [illegible] स्पष्ट [illegible]।
[illegible] [illegible] पत्रावली पर [illegible]
[illegible] [illegible] की पत्रावली [illegible] [illegible]
[illegible] थी। अतः [illegible] से
आवश्यक [illegible] प्रस्ताव [illegible] मांगी
[illegible] [illegible] जा रहा है। अतः प्रस्ताव
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible]
दाखिल दफ्तर की जावे।

[signature]
आयुक्त

[initials]